XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग.303–दो/03 जिला–दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा अना. क. 1 मृतक के वारिसान की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई । अतः जानकारी न देने की स्थिति में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R. 303-III/2003

बाबू सिंह तनय बसोरे सिंह गौंड आदिवासी निवासी ग्राम भिनैनी तह. जबेरा जिला दमोह ... निगरानीकर्ता

बनाम

1. हल्कू सिंह तनय रामू सिंह आदिवासी
2. भगवत सिंह तनय हल्कांई सिंह आदिवासी
3. कमोद सिंह तनय इनरत सिंह आदिवासी

सभी निवासी ग्राम भिनैनी तह. जबेरा जिला दमोह

(4) म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर दमोह ... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

निगरानीकर्ता विनम्र प्रार्थी है -

1. यह कि निगरानीकर्ता यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा निगरानी प्र.क्र. 532अ/19-96-97 (बाबू सिंह विरुद्ध हल्कू सिंह वगैरह) में पारित आदेश दिनांक 18.12.2002 के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य

यह कि निगरानीकर्ता बाबू सिंह गौंड आदिवासी है। और भूमिहीन कृषक है वह ग्राम भिनैनी तह. जबेरा जिला दमोह स्थित भूमि क्र. नं. 115/2 रकबा 6 एकड सन् 71-72 से लगातार काबिज चला आ रहा है। इस बावत् उसका अनेक बार अर्थ दण्ड भी हो चुका है। सन 76-77 में तहसीलदार जबेरा ने उक्त जमीन का बंटन किया जिसमें से निगरानीकर्ता को केवल डेढ एकड जमीन आवंटित की गई थी शेष साढे चार एकड जमीन अनावेदक क्र. 1 को आवंटित की गई जबकि अना. क्र. 1, ..3 भूमिहीन कृषक नहीं है उनके पास पहले से ही भूमि है। कलेक्टर

...2..